न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी—श्री श्रवण सिंह राठौड आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या— 11 / 2022 | दायर दिनाकः—24.04.2022

(2022 / 00060) | निर्णय दिनाकः—02-04-2024

अनवान

1— श्री अशोक कुमार पिता कुरीया जी जाति ब्राह्म्ण निवासी जेठाणा तहसील सागवाडा जिला डूंगरपुर।

(प्रार्थी)

बनाम

1— श्री अनिल पिता भूरा व्यास जाति ब्राह्म्ण निवासी बुल्डाणा, बी—7 सेकेण्ड फ्लोर नक्षत्र अपार्टमेंट चिखली रोड बुल्डाणा जिला बुल्डाणा (महाराष्ट्र)

2— श्री किशोर पिता भूरा व्यास जाति ब्राह्म्ण निवासी बुल्डाणा, एच.डी.एफ.सी. के पास, सर्क्युलर रोड, बुल्डाणा जिला बुल्डाणा (महाराष्ट्र)

3— श्रीमती पद्मा पिता भूरा व्यास, पत्नि डॉ. जगदीशचन्द्र भट्ट जाति ब्राह्म्ण निवासी गुरूकृपा गामठवाडा रोड सागवाडा जिला डूंगरपुर।

4— श्रीमती संगीता भट्ट पिता भूरा व्यास पत्नि श्री राजेश एम. भट्ट जाति ब्राह्म्ण निवासी मधुवन, भाई केक स्टेट्स के पास, वल्लभ विधानगर जिला आणंद (गुजरात)

5— भुमिधारी राज्य सरकार जरीये तहसीलदार सागवाडा।

(विपक्षीगण)

वकील प्रार्थी—श्री मंयक दोसी

वकील विपक्षीगण — सी.पी. गांधी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 209 राज0 टिनेन्सी एक्ट बाबत् रास्ते की घोषणा हेतु

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादी श्री अशोक कुमार पिता कुरीया जी ब्राह्म्ण निवासी जेठाणा के खाता संख्या 28 / 35 के खसरा नंबर 5076 का रकबा 0.1213 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5077 का 0.0080 हैक्टेयर व इसके पीछे कृषि भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा है लेकिन उक्त आराजीयात में जाने

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूँगरपुर (राज.)

का एक मात्र रास्ता मौजा जेठाणा के खसरा नंबर 5066 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि में स्थित है। खसरा नंबर 5066 की भूमि मुख्य सडक से मिलती हुई है। खाता संख्या 5/4 के खसरा नंबर 5066 रकबा 0.1618 हैक्टेयर भूमि के विपक्षीगण 1 से 4 खातेदार है।

प्रार्थी खसरा नंबर 5066 की भूमि में होकर कृषि कार्य हेतु हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर प्रार्थी को अपनी भूमि से फसल, घास इत्यादि लाने ले जाने पडते है। प्रार्थी का खसरा नंबर 5076 व 5077 की भूमि व पीछे स्थित अन्य कृषि भूमि तक हल बैलगाडी , खेत जुजाई हेतु ट्रैक्टर ले जाने हेतु 30 फीट चौडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी बरसो से खसरा नंबर 5066 रकबा 0.1618 हैक्टेयर से ही कृषि भूमि तक हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर फसल लाने , ले जाना करता है। प्रार्थी ने विपक्षीगण संख्या 1 से 4 द्वारा खसरा नंबर 5066 की भूमि में से आने जाने हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर फसल लाने ले जाने में रूकावट करने से प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर फसल लाने , ले जाने वंचित हो जायेगा। प्रार्थी ने विपक्षीगण संख्या 1 से 4 को 30 फीट चौडे रास्ते की मांग दिनांक 10.04.2022 को की लेकिन विपक्षीगण ने इन्कार कर दिया। जिससे वादी को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादी को खसरा नंबर 5066 का रकबा 0.1618 हैक्टेयर की भूमि में से उसके खातेदारी भूमि तक आने जाने हल, बैलगाडी, ट्रैक्टर व फसल लाने, ले जाने हेतु तकरीबन 30 फीट चौडा रास्ता दिला उसे राजस्व रेकॉर्ड में पेमुद किया जावे। जिसकी डीएलसी दर से प्रार्थी क्षतिपूर्ति राशि भी अदा करने को तैयार है। यह कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज नकल जमाबंदी नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये गये है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 13.07.2022 को विपक्षीगण संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हो जवाब हेतु समय चाहा। प्रार्थना पत्र का जवाब विपक्षीगण वकील द्वारा 26.12.2022 को पेश किया। भूमिधारी पेरोकार की तरफ से अपना जवाब मय पर्चा मौका रिपोर्ट दिनांक 17.02.2023 को पेश किया गया।

हमने पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व दस्तावेजों का अवलोकन किया जो विद्वान अधिवक्ता बहस पर मनन किया। यह कि प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीगण के द्वारा पेश दस्तावेज तथा भूमिधारी के द्वारा पेश जवाब मय मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी स्वामित्व एवं कब्जेदारी की मौजा जेठाणा के खसरा नंबर 5076 की रकबा 0.1213 हैक्टेयर,, खसरा नंबर 5077 की रकबा 0.0080 हैक्टेयर आबादी भूमि व उसके पीछे उसकी कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी विपक्षीगण के खसरा नंबर 5066 रकबा 0.1618 हैक्टेयर में 20 फीट चौडा गुणा 115 लम्बा रास्ता पाने का अधिकारी है। उसके पास कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विपक्षीगण के खसरा नंबर 5066 के रकबा 0.1618 हैक्टेयर में से 20 गुणा 115 फीट कुल 2300 वर्गफिट भूमि रास्ते मे उपयोग होगी जिसकी डीएलसी दर से राशि रूपया 24,710/– का दुगुना राशि 49,420/–होगी।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूँगरपुर (राज.)

उपरोक्त तथ्य के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251–ए स्वीकार किया जाता है कि मौजा जेठाणा के खसरा नंबर 5076 व 5077 एवं उसके पीछे स्थित कृषि भूमि तक आने जाने हेतु रास्ता विपक्षीगण के मौजा जेठाणा के खसरा नंबर 5066 के रकबा 0.1618 हैक्टेयर में से 20 गुणा 115 फीट कुल 2300 वर्गफिट रास्ता घोषित किया जाकर प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि डीएलसी दर से राशि रूपया 24,710/–का दुगुना राशि 49,420/– अप्रार्थीगण को बराबर हिस्सा राशि के डीडी/चेक क्रमशः 1–श्री अनिल पिता भूरा व्यास जाति ब्राह्म्ण निवासी बुल्डाणा, बी–7 सेकेण्ड फ्लोर नक्षत्र अपार्टमेंट चिखली रोड बुल्डाणा जिला बुल्डाणा (महाराष्ट्र) को रू.12355/– 2–श्री किशोर पिता भूरा व्यास जाति ब्राह्म्ण निवासी बुल्डाणा, एच.डी.एफ.सी. के पास, सर्क्युलर रोड, बुल्डाणा जिला बुल्डाणा (महाराष्ट्र) रू.12355/–, 3–श्रीमती पद्मा पिता भूरा व्यास, पत्नि डॉ. जगदीशचन्द्र भट्ट जाति ब्राह्म्ण निवासी गुरूकृपा गामठवाडा रोड सागवाडा जिला डूंगरपुर रू.12355/–, 4–श्रीमती संगीता भट्ट पिता भूरा व्यास पत्नि श्री राजेश एम. भट्ट जाति ब्राह्म्ण निवासी मधुवन, भाई केक स्टेट्स के पास, वल्लभ विधानगर जिला आणंद (गुजरात) रू.12355/– के बनाकर तहसीलदार सागवाडा को जमा करावे।

तहसीलदार सागवाडा को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जमा कराये जाने पर डीडी/चेक प्रतिवादीगण 1 से 4 को सुपुर्द कर मौजा जैठाणा के खसरा नंबर 5066 रकबा 0.1618 हैक्टेयर में से रास्ते की चौडाई 20 फीट व लम्बाई 115 फीट कुल क्षेत्रफल 2300 वर्ग फीट (0.0213 हैक्टेयर) की मौके पर नपती की जाकर प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार रास्ते का अंकन राजस्व नक्शे में कर उक्त भूमि को बिलानाम श्री सरकार रास्ता दर्ज रेकार्ड किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा